U.P. STATE CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(Erstwhile:-U.P.SAMAJ KALYAN NIRMAN NIGAM LTD)
AGRA

(An ISO 9001 : 2008)

TENDER DOCUMENT
(E.TENDERING SYSTEM)

NIT NO: - 06/SPORTS STADIUM/ALIGARH/26-27 DATE:- 07.05.2026

NAME OF WORK :- REPAIR AND RENOVATION WORK AT SPORTS STADIUM ALIGARH, DISTT- ALIGARH.
ESTIMATED COST OF WORK:- 217.01 Lac
EARNEST MONEY:- Rs. 4,34,020/- TENDER FEE:- Rs. 5310 *(4500 + 18% GST)*
PERIOD OF WORK:- 450 Days.

S. NO.	DESCRIPTION	DATE	TIME
1	Document downloading start date	07.05.2026	12.00PM
2	Document downloading end date	21.05.2026	12.00PM
3	Bid submission start date	07.05.2026	12.00PM
4	Online bid submission closing date	21.05.2026	12.00PM
5	Bid opening date	21.05.2026	01.00PM

REGD OFFICE:-TC-46-V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW.
Phone no. 0522-2305878

Name of Supplier/Firm ....
Address. ....
....
....

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0
मकान नं0 19, रामजी धाम कॉलोनी, देवीराम स्वीट के सामने, ऋषिपुरम रोड, सिकन्दरा, आगरा।
GSTIN - 09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 06/SPORTS STADIUM/ALIGARH/26-27 DATE:- 07.05.2026

NAME OF WORK :- REPAIR AND RENOVATION WORK AT SPORTS STADIUM ALIGARH, DISTT- ALIGARH.

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, की ओर से निम्नलिखित कार्य पर सुसंगत फर्मो से ई–निविदायें नीचे वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। ई–टेण्डर द्वारा निविदाओं के अपलोड करने एवं खोलने तथा अन्य विवरण निम्नवत् है।

S. NO.	DESCRIPTION	DATE	TIME
1	Document downloading start date	07.05.2026	12.00PM
2	Document downloading end date	21.05.2026	12.00PM
3	Bid submission start date	07.05.2026	12.00PM
4	Online bid submission closing date	21.05.2026	12.00PM
5	Bid opening date	21.05.2026	01.00PM

TENDER FEE:- Rs. 5310.00 *(4500 + 18% GST)*
EMD:- Rs. 4,34,020.00

नियम एवं शर्ते :–

1. निविदादाता को यू0पी0सिडको में रजिस्टर्ड **'A'** श्रेणी या अधिक श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण का प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना होगा। निविदादाता को कार्य करने हेतु अनुभव के रूप में कार्यादेश की प्रति भी अपलोड करनी आवश्यक होगी।
2. निविदादाता को उक्त् हेतु 80 प्रतिशत का एक अथवा 60 प्रतिशत का दो अथवा 40 प्रतिशत का तीन कार्यों का विगत 7 वर्षो में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/संस्था से भवन कार्य का अनुभव प्रमाण, अनुभव के रूप में कार्य से सम्बन्धित कार्यादेश की प्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता के पास **Similar Work** का अनुभव होना अनिवार्य है। (स्पोर्ट्स स्टेडियम में अलग–अलग तरह के किए गये कार्यों को ही Similar Work माना जायेगा/Works executed of different nature in sports stadium shall only be considered as similar work)
4. निविदादाताओं के पास 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान समान प्रकृति के निर्माण कार्य पर अनुमानित लागत का 50% औसत वार्षिक वित्तीय

टर्नओवर होना चाहिए (सी0ए0 से प्रमाण–पत्र की प्रति (UDIN No. सहित) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है)।

5. विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न/बैलेन्स शीट सी0ए0 सर्टिफिकेट वर्षवार टर्नओवर सहित निविदा के साथ अपलोड की जानी है। फर्म विगत दो वर्षों में लाभ की स्थिति में होनी चाहिए।

6. तकनीकी बिड में अर्ह निविदादाता फर्मों की ही फाइनेंशियल बिड खोली जायेगी।

7. निविदादाता को अपनी फर्म का वैद्य जी0एस0टी0 नं0, पैन नं0, रजिस्टर्ड पी0एफ0 नं0, चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र(डीएम/राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत रू0 150.00 लाख), अनुभव प्रमाण–पत्र एवं श्रमिक पंजीकरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करनी होगी।

8. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ मशीनरी एवं टूल्स विवरण, तकनीकी स्टाफ (1 डिग्री (सिविल) + 1 डिप्लोमा (सिविल) + 1 डिप्लोमा (विद्युत) शैक्षिक योग्यता मार्कशीट सहित, काली सूचि, रिलेशन्शिप, निवास प्रमाण–पत्र एवं लिटिगेशन इत्यादि के नोटराइज्ड एफिडेबिट अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे।

9. विद्युत कार्य विद्युत सुरक्षा विभाग में पंजीकृत 'ए' क्लास लाइसेंसधारी (ठेकेदार) द्वारा या उनके पर्यवेक्षण में कराया जायेगा, जो यह प्रमाण–पत्र देगा कि विद्युत कार्य मेरे पर्यवेक्षण में कराया गया है। 'ए' क्लास विद्युत लाइसेंस एवं प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा साथ ही मुख्य सचिव महोदय के स्तर से जारी शासनादेश संख्या–2990/84-4-2009-183 (M)/2008 दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

10. निविदादाता को कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा, कार्य ना करने की दशा में धरोहर राशि (Earnest money) को जब्त कर लिया जायेगा।

11. निविदादाता को होर्टीक्लचर कार्यों के पेड़–पौधों की देख–भाल/पौधों की कटिंग एक माह तक करना अनिवार्य होगा तथा सभी पेड़–पौधे स्वस्थ स्थिति में देने होंगे।

12. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधीक्षण अभियन्ता, यूपीसिडको आगरा को होगा।

13. निविदादाता को अंकित टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि निगम के खुले **खाता संख्या–50100303520112 IFS Code:- HDFC0001937, MASOODABAD CHOWK, ALIGARH** में आर0टी0जी0एस0 करानी होगी। टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि खाते में अन्तरित कराने की रसीद की छायाप्रति/यू0टी0आर0 नं0 निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।

14. यदि निविदा प्रक्रिया में शामिल निविदादाताओं द्वारा मूल अभिलेख मांगे जाने पर नहीं उपलब्ध कराये जाते हैं तो शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में काली सूची में डालने एवं एफ0आई0आर0 की कार्यवाही की जायेगी।

15. निविदा से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों की साफ्ट कॉपी पी0डी0एफ0 फाईल के द्वारा अपलोड करनी होगी।

सहायक अभियन्ता
यू0 पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0–आगरा

अधीक्षण अभियन्ता
यू0 पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि0-आगरा

Scanned with OKEN Scanner

16. कार्य पूर्ण करने की अवधि–कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 450 दिनों में पूर्ण करना होगा अथवा अनुमोदन अधिकारी द्वारा अनुमोदित समयावृद्धि के अनुसार।
17. निविदादाता को भुगतान धन की उपलब्धता पर किया जायेगा, अग्रिम भुगतान किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
18. निविदादाता द्वारा खनन सामग्रियों की रायल्टी भुगतान की रसीद (प्रपत्र एम0एम0 11 अथवा शासन द्वारा जारी अन्य विधिक प्रपत्र) बिल के साथ उपलब्ध करवानी होगी। विभाग द्वारा उक्त् खनिज मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी की कटौती कर विभाग के खाते में संरक्षित कर ली जायेगी। तत्पश्चात ठेकेदार द्वार प्रस्तुत प्रपत्रों का सत्यापन खनन विभाग की वेब साईट से कराये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल से की गयी कटौती की धनराशि उसे वापस की दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के अवैध/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर काटी गयी रायल्टी की धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीषर्क में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
19. जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
20. निविदा खोलने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूर्ण की जायेगी।
    1. **प्रथम–** जमा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की पुष्टि की जायेगी। असफल निविदादाताओं को प्रथम चरण में ही निरस्त कर दिया जायेगा।
    2. **द्वितीय–** प्रथम चरण में सफल निविदादाताओं की तकनीकी बिड़ में अपलोड प्रपत्रों की निविदानुसार जाँच की जायेगी तथा सफल निविदादाताओं की सूची बनाते हुये प्राईस बिड खोलने हेतु संस्तुति की जायेगी।
    3. **तृतीय–** तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की प्राईस बिड़ तय दिनांक एवं समय को खोली जायेगी तथा न्यूनतम दर निविदादाता को एल0ओ0आई उपर्युक्त वर्णित मूल प्रपत्र एवं उनकी प्रति/हस्ताक्षरित छायाप्रति इस कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जायेगा।
21. ठेकेदार के द्वारा दरें निविदा के साथ संलग्न प्राइस बिड पर ही कोट कर अपलोड करनी होगी, NIT में उल्लेखित आइटम स्कोप ऑफ वर्क में सम्मिलित है।
22. निविदादाता को बिड प्रकाशन की तिथि के पश्चात निर्गत एवं CA द्वारा सत्यापित स्वयं घोषित बिड कैपेसिटी प्रमाण–पत्र (संलग्न प्रारूप **A1** एवं **A2** के अनुसार) निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही एल0ओ0आई0 एवं अनुबन्ध की प्रति अपलोड करनी होगी।
23. निविदिदाता द्वारा कराये जा रहे कार्यों के विवरण के साथ सम्बन्धित विभाग से जारी कार्यादेश/एल0ओ0आई0 एवं अनुबन्ध का विवरण भी A2 प्रमाण–पत्र पर भरकर अपलोड करना होगा।
24. निविदादाता को (Litigation History) (यदि कोई हो) संलग्न प्रारूप पर भरकर निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
25. दिनांक 20.05.2026 को अपराह्न 12:00 बजे अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में प्री–बिड मीटिंग आयोजित की जायेगी, जिसमें कि निविदादाताओं को स्वयं अथवा अपने नियुक्त

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। प्रतिनिधि का पूर्ण विवरण निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

26. साइट निरीक्षण अनिवार्यता:— ठेकेदार अथवा ठेकेदार द्वारा नियुक्त अधिकृत प्रतिनिधि को साइट का भली भांति निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। साइट निरीक्षण से पूर्व नियुक्त प्रतिनिधि का पूर्ण विवरण निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान ठेकेदार या फर्म की नाम पट्टिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

27. जी0पी0एस0 आधारित फोटोग्राफी:— निरीक्षण के दौरान साइट की जी0पी0एस0 लोकेशन सक्षम फोटोग्राफी करना अनिवार्य होगा। फोटोग्राफ में साइट का वास्तविक दृश्य और नाम पट्टिका स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, जोकि निविदा के साथ अपलोड करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साइट का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन न करने पर फर्म की बिड अस्वीकार मानी जायेगी।

28. जी0पी0एस0 लोकेशन कॉर्डीनेट्स LATITUDE=27.90281° LONGTITUDE=78.09969°

29. सफल निविदादाता को निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में जमा कराना होगा। जो बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI का ही मान्य होगा।

30. यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य से कम दरें उद्धरण की जाती है तो शासनादेश सं0 130/2024/1/806472/2024 Dt. 27.11.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्यूल्ड बैंक IDBI/HDFC/ICICI के रूप में जमा करानी होगी :-

(i) 0.50% per 1.00% below up to 10% below of BOQ.

(ii) 1.00% per 1.00% below, above 10% below of BOQ.

31. कोई भी बदलाव या सुधार या कोई और अपडेट https://e-tender.up.nic.in पर मिलेगा। इसलिए बिडर से अनुरोध है कि वे ई–टेंडर से जुड़े किसी भी बदलाव/सुधार/दूसरे अपडेट के लिए समय–समय पर ई–टेंडर पोर्टल देखते रहें।

32. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।

सहायक लेखाकार
यू० पी० स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०-आगरा

अधीक्षण अभियन्ता
यू० पी० स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर

अधीक्षण अभियन्ता,
यूपीसिडको,
आगरा/अलीगढ़ मण्डल।

निविदा की विशेष शर्ते

1. निविदा प्रपत्र बेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। निविदा डाउनलोड एवं अपलोड भी इसी बेब साईट से किया जायेगा। इच्छुक सप्लायर्स/ठेकेदार नियमित रूप से उक्त् बेबसाईट का संज्ञान लेते रहे, क्योंकि प्रश्नगत् निविदाओं के सम्बन्ध में परिवर्तन अथवा अन्य सूचना बेबसाईट पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. निविदादाता को अंकित टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि निगम के खुले **खाता संख्या–50100303520112 IFS Code:- HDFC0001937, MASOODABAD CHOWK, ALIGARH** में आर0टी0जी0एस0 करानी होगी। टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि खाते में अन्तरित कराने की रसीद की छायाप्रति/यू0टी0आर0 नं0 निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।
3. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से 450 दिनों तक मान्य होगी।
4. सक्षम अधिकारी को निविदा बिना कारण बताये, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
5. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु रु0 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा की नियम व शर्तो के अनुसार अनुबन्ध करना होगा व अनुबन्धित लागत की 5% (पाँच प्रतिशत) धनराशि हेतु डाफ्ट/एफ0डी0आर0 परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में जमा करना होगा। जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के 6 माह पश्चात अवमुक्त की जायेगी।
6. कार्य की मात्रा अनुबन्ध की मात्रा से आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है। किन्तु अधिक होने पर इन्जीनियर इन्चार्ज की अनुमति आवश्यक होगी।
7. निर्धारित समयावधि में यदि निविदादाता आपूर्ति/कार्य पूर्ण नहीं करता है, तो निगम निविदा में भागीदार किसी अन्य फर्म जिसने निविदा शर्तो का पालन किया हो, से निर्माण कराये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा, उक्त् पर यदि अतिरिक्त व्यय का भुगतान किया जाना होगा तो उसे प्रथम निविदा दाता की जमानत धनराशि से किया जायेगा।
8. निविदा दाता को ई–प्रकाशन व अनुबन्ध में दी गयी सभी शर्तो का पालन करना होगा।
9. निविदा दाता के निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदा दाता सक्रिय भू–माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गातिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया आपूर्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इससे किसी भी क्षति की जिम्मेदारी निविदा दाता/फर्म की होगी।
10. फर्म को जारी कार्य आवंटन–पत्र–एवं अनुबन्ध के आधार पर सम्बन्धित कार्य के विषय में कार्यस्थल की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व/अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
11. फर्म द्वारा कार्य का सम्पादन, निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों, विशिष्टियों एवं संरचना के आधार पर तथा निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा निगम के अभियन्ता/उच्चाधिकारियों को किसी भी समय पर कार्य का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच किये जाने का पूरा अधिकार होगा।
12. फर्म द्वारा समस्त निर्माण कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं समय समय पर निगम द्वारा जारी किये गये निर्देशों के द्वारा अनुमोदित, विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायेगें।
13. केन्द्रीय/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप कार्यस्थल पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री को प्रयोग में लाने का उत्तरदायित्व फर्म का होगा। निर्माण सामग्रियों के नमूनों को निगम के अधिकारियों से अनुमोदित कराने के पश्चात ही प्रयोग में लाया जायेगा। निगम द्वारा किसी निर्माण सामग्री या सम्पादित कार्य के नमूने का परीक्षण किसी चयनित संस्था/कार्यस्थल पर स्थापित लैब से कराये जाने की दशा में परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति फर्म के बिल

सहायक लेखाकार
यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0-आगरा

अधीक्षण अभियन्ता
यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0-आगरा

Scanned with OKEN Scanner

से की जायेगी। किसी सामग्री के विशिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा टेस्ट में कोई सामग्री फेल होने की दशा में उक्त सामग्री को तत्काल अपने व्यय पर कार्यस्थल से हटाने, नयी सामग्री आदि की व्यवस्था करने का दायित्व फर्म का होगा। किये गये कार्य के फेल होने पर उसे तोड़कर पुनः करना होगा। यदि कोई कटौती होती है तो उसका भुगतान फर्म के बिल से ही किया जायेगा।

14. फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्यो को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसकी जांच टी०ए०सी० अथवा अन्य किसी संस्था/विभागीय अधिकारी से कराये जाने के पश्चात कार्यो/सामग्री में यदि कोई कमी प्रकाश में आती है तो उसका निदान फर्म को अपने व्यय पर करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी। यदि उक्त जांच के फलस्वरूप निगम पर कोई आर्थिक दण्ड लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्तिफर्म के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी। फर्म के किसी कार्य से निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुचती है तो उस क्षति/हानि को वहन करने का दायित्व फर्म का होगा। जिसकी वसूली फर्म के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।

15. फर्म द्वारा लेबर मद हेतु श्रम विभाग में पंजीकरण कराते हुए समस्त राजकीय/केन्द्रीय नियमों एवं कानूनों के अनुसार भुगतान,बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा इस प्रकार आने वाले समस्त व्यय को फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य पर लगायी जाने वाली मैन पावर/लेबर की मृत्यु, दुर्घटना तथा प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली क्षति के क्लेम हेतु आवश्यक/वांछित बीमा फर्म द्वारा कराया जायेगा एवं प्रमाण-पत्र निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। फर्म द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि उक्त बीमा कार्य प्रारम्भ होने से निर्मित भवन के हस्तानान्तरित होने तक वैध रहेगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

16. फर्म द्वारा समस्त सांविधिक अधिनियमों केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त श्रम अधिनियमों जैसे वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, एम्पलॉयर्स लायबिलिटी ऐक्ट, वर्कमैन कम्पन्सेशन ऐक्ट, औधोगिक विवाद अधिनियम, मेटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट, कान्ट्रैक्टर लेबर रेगूलेशन एण्ड एबॉलीशन ऐक्ट, फैक्ट्री ऐक्ट, जी०एस०टी० अथवा अन्य कोई संशोधित अधिनियमों एवं उनके प्राविधानों का विधिवत अनुपालन किया जायेगा तथा किसी अधिनियम के किसी प्राविधान का अनुपालन न होने की दशा में सम्बन्धित फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। उक्त के अतिरिक्त फर्म द्वारा कार्य पर लगायी गयी लेबर के प्रॉविडेन्ट फण्ड जमा करने के साक्ष्य स्वरूप चालान की प्रति भी भुगतान के पूर्व निगम को उपलब्ध करानी होगी अन्यथा बिल में लेबर चार्ज की धनराशि पर 25.61% की दर से प्रॉविडेन्ट फण्ड के मद में कटौती की जायेगी।

17. यदि फर्म द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है या निम्न गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य निगम के स्थान पर किसी अन्य एजेन्सी को आवंटित करने का निर्णय लिया जाता है तो इस सम्बन्ध में अतिरिक्त लागत हेतु फर्म उत्तरदायी होगी तथा वह धनराशि/क्षति जो निगम को वहन करनी होगी, की प्रतिपूर्ति फर्म के अवशेष बिलों तथा जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।

18. यदि निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में आवंटित कार्य का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाता है अथवा कोई विशेष शर्ते लागू की जाती है तो सम्बन्धित फर्म उनके अनुपालन हेतु बाध्य होंगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

सहायक लेखाकार
यू० पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०-आगरा

अधीक्षण अभियन्ता
यू० पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि०-आगरा

Scanned with OKEN Scanner

19. निर्माण कार्य के दौरान फर्म को होने वाली किसी प्रकार की क्षति के लिये निगम का कोई भी उत्तरदायित्व अथवा देनदारी नही होगी और इस प्रकार का कोई दावा न तो फर्म द्वारा किया जायेगा और न ही निगम द्वारा स्वीकार किया जायेगा।
20. सम्बन्धित फर्म द्वारा निगम के अधिकारियों को कार्य का सुपरविजन/निरीक्षण करने हेतु आवश्यक सहयोग/सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी, जिस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी।
21. निर्माणाधीन कार्य पर अग्नि, दुर्घटना, दंगो अथवा प्राकृतिक दैवीय प्रकोपों एवं चोरी आदि से जो भी क्षति होगी उसके लिये फर्म उत्तरदायी होगा एवं उक्त हेतु निगम का कोई उत्तरदायित्व नही होगा। उक्त दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति के कार्य की सुनिश्चित लागत का बीमा फर्म द्वारा अपने व्यय पर कराया जायेगा तथा बीमा न कराये जाने की दशा में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति को फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
22. निगम द्वारा फर्म को उपलब्ध करायी गयी बिल ऑफ क्वांटिटी में उल्लिखित मात्राओं से विचलन होने की औचित्यपूर्ण स्थिति में धनराशि प्राप्त/उपलब्ध होने के उपरान्त ही उक्त का भुगतान फर्म को किया जायेगा।
23. यदि किसी जॉच के द्वारा निगम के सक्षम अधिकारी के स्तर से कोई कटौती आदेश जारी किया जायेगा तो फर्म को किये जाने वाले भुगतान से समतुल्य धनराशि की कटौती की जायेगी।
24. निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने, बिल प्रस्तुत किये जाने, बिल पारित किये जाने, निर्माण कार्य के शेडयूल आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया जो निगम द्वारा निर्धारित की जायेगी, का अनुपालन सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा।
25. किसी प्रकार के विवाद की दशा में निगम द्वारा नामित आर्बीट्रेटर द्वारा विवाद का निस्तारण किया जायेगा तथा आर्बीट्रेटर को देय मानदेय, शुल्क का वहन संबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा। आर्बीट्रेटर का जो निर्णय निगम पर लागू होगा उसके अनुपालन हेतु फर्म पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
26. निविदादाता द्वारा खनन सामग्रियों की रायल्टी भुगतान की रसीद (प्रपत्र एम0एम0 11 अथवा शासन द्वारा जारी अन्य विधिक प्रपत्र) बिल के साथ उपलब्ध करवानी होगी। विभाग द्वारा उक्त खनिज मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी की कटौती कर विभाग के खाते में संरक्षित कर ली जायेगी। तत्पश्चात ठेकेदार द्वार प्रस्तुत प्रपत्रों का सत्यापन खनन विभाग की वेब साईट से कराये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाये जाने पर ठेकेदार के बिल से की गयी कटौती की धनराशि उसे वापस की दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के अवैध/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर काटी गयी रायल्टी की धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीषर्क में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
27. बिल ऑफ क्वांटिटी में विभिन्न मदों में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है तथा कार्य सम्पादन के समय किसी भी आइटम की मात्रा में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है या कोई कार्य नहीं भी सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया जा सकता है। इस कार्य के सम्पादन हेतु अतिरिक्त सामग्री एवं निर्माण कार्य जो कि बिल ऑफ क्वान्टिटी में उपलब्ध नहीं है, उनको भी सम्बन्धित फर्म के द्वारा कराया जायेगा व जिनका भुगतान लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों तथा इनमें उपलब्ध न होने की दशा में बाजार दरों पर दर विश्लेषण करते हुए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।
28. फर्म द्वारा निर्माण कार्य में आने वाली समस्त कमियों का निराकरण एवं अनुरक्षण एक सप्ताह के अन्दर कराया जायेगा अन्यथा उक्त कार्य को निगम द्वारा स्वयं सम्पादित कराकर आने वाले व्यय की वसूली फर्म की जमा सिक्योरिटी धनराशि से कर ली जायेगी।

सहायक लेखाकार
यू० पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०-आगरा

अधीक्षण अभियन्ता
यू० पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०-आगरा

Scanned with OKEN Scanner

29. यदि कोई ऐसा कार्य/सामग्री आपूर्ति करायी जाती है जिसकी दर उपलब्ध करायी गयी BILL OF QUANTITY में नहीं है, ऐसे मदों का भुगतान लो0नि0वि0 वर्तमान में प्रभावी/स्वीकृत दरों पर 5% कम करके किया जायेगा। लो0नि0वि0 में मद न होने की दशा में दिल्ली शेड्यूल आफ रेट वर्तमान में प्रभावी/स्वीकृत दर पर 5% कम करके किया जायेगा। इन दोनों में दर उपलब्ध न होने पर वास्तविक बाजार दरों पर विश्लेषण करके किया जायेगा।
30. निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने पर 0.1% प्रति सप्ताह की दर से विलम्ब शुल्क (अधिकतम 5.00%) के रूप में कटौती की जायेगी। अथवा अनुमोदन करने वाले अधिकारी के विवेकानुसार।
31. आर0सी0सी0 कार्यो में स्टील अथवा प्लाई की शटरिंग लिंटल, सनशेड, शियर वाल जैसे कार्यो मे शटरिंग निर्धारित अवधि में खुल जाने पर ही इसका भुगतान किया जायेगा परन्तु छत व उसकी बीम की स्थिति में शटरिंग कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण हो जाने पर 60% भुगतान किया जा सकता है। 30% भुगतान शटरिंग खुलने पर तथा शेष 10% भुगतान फिनिशिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात किया जायेगा।
32. कार्य पूर्ण होने के 7 दिन के अन्दर फर्म को अपना समस्त टी0 एण्ड पी0, शटरिंग आदि साइट से हटाना होगा व साइट को पूर्ण रूप साथ सुथरा करना होगा। इसके पश्चात ही अंतिम बिल का भुगतान किया जायेगा। परन्तु यदि कार्य पूर्ण है व हस्तान्तरण हेतु तैयार है तो ग्राहक विभागद्वारा हस्तान्तरित लेने के पश्चात ही अन्तिम बिल का भुगतान किया जायेगा। साफ–सफाई हेतु अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।
33. विद्युत कार्य का अनापत्ति प्रमाण–पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग तथा फायर फाईटिंग कार्य का अनापत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विभाग से लेने का उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा।
34. बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने एवं निविदा की तिथि बढ़ाये जाने आदि का पूर्ण अधिकार निगम का होगा।
35. निर्माण स्थल पर निर्माण व लेबर हेतु विद्युत व जल की व्यवस्था निविदादाता को अपने व्यय पर स्वयं वहन करना होगा, जिसका अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
36. भुगतान की शर्तें
    1. कार्य प्लिंथ स्तर पर पूर्ण होने पर।
    2. भूतल का कार्य छत स्तर तक पूर्ण होने पर।
    3. भूतल की छत ढलाई के उपरान्त।
    4. प्रथम तल का कार्य छत स्तर तक पूर्ण होने पर।
    5. प्रथम तल की छत ढलाई के उपरान्त।
    6. प्लास्टर एवं फर्श के कार्य पूर्ण होने पर।
    7. स्थल विकास का कार्य पूर्ण होने पर।
    8. पेन्टिंग एवं सैनेटरी (फिक्सर को छोडकर) का कार्य पूर्ण होने पर।
    9. आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने पर।
    10. सैनेटरी फिक्सर एवं विद्युत फिक्सर का कार्य पूर्ण होने पर।
37. निविदादाता के द्वारा एल0ओ0आई0 निर्गत होने के पश्चात् कार्य को 450 दिनों में पूर्ण किया जाना होगा।
38. निविदादाता को कार्य का भुगतान कार्य संतोषजनक पाये जाने पर किया जायेगा तथा प्रत्येक बिल से 5 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि काटी जायेगी।
39. सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
40. निविदा में अनावश्यक रूप से संलग्न प्रपत्रों को पत्रावली में संकलित नहीं किया जायेगा।

सहायक लेखाकार
यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर
... लि0-आगरा

अधीक्षण अभियन्ता
यू0 पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि0-आगरा

Scanned with OKEN Scanner

41. निविदादाता को दी गयी दरों पर ही कार्य करना होगा, यदि लेबर की दरें किसी प्रकार बढ जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सरकार द्वारा टैक्स में कोई परिवर्तन होने पर भुगतान निगम द्वारा तद्नुसार किया जायेगा।
42. बिलो से आयकर/अन्य किसी प्रकार के कर जो नियमानुसार लागू हो, की कटौती की जायेगी तथा विभाग द्वारा ही जमा किया जायेगा।
43. निविदादाता को भुगतान धन की उपलब्धता पर किया जायेगा, अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
44. जी0एस0टी0 भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
45. निविदादाता के द्वारा निविदा के अन्तर्गत अनिवार्य प्रपत्र आनलाईन अपलोड किये जायेंगे। उन प्रपत्रो की हार्ड कापी, मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी।
46. अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
47. निविदादाताओं को चाहिये कि वह निविदा की शर्तो को ध्यान से पढ़ते हुये कार्यस्थल की समस्त जानकारी लेकर अपनी दरों को दे क्योंकि निविदा अवधि में दी गयी दरों को बढ़ाना सम्भव नहीं होगा।
48. सफल निविदादाता को निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में जमा कराना होगा। जो बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI का ही मान्य होगा।
49. यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य से कम दरें उद्धरण की जाती है तो शासनादेश सं0 130/2024/1/806472/2024 Dt. 27.11.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्यूल्ड बैंक IDBI/HDFC/ICICI के रूप में जमा करानी होगी :-
    (i) 0.50% per 1.00% below up to 10% below of BOQ.
    (ii) 1.00% per 1.00% below, above 10% below of BOQ.

सहायक लेखाकार
यू० पी० स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० आगरा

अधीक्षण अभियन्ता
यूपीसिडको,
आगरा/अलीगढ़ मण्डल।

मैने उपरोक्त शर्तो को ध्यान से पढ़ लिया है तथा इस आधार पर मैं कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0
मकान नं0 19, रामजी धाम कॉलोनी, देवीराम स्वीट के सामने, ऋषिपुरम रोड, सिकन्दरा, आगरा।
GSTIN - 09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 06/SPORTS STADIUM/ALIGARH/26-27 DATE:- 07.05.2026

NAME OF WORK :- REPAIR AND RENOVATION WORK AT SPORTS STADIUM ALIGARH, DISTT- ALIGARH.

Place of Receiving Tender:- Electronically via web site http://etender.up.nic.in from Office of the Superintending Engineer, H.No. 19, Ramji Dham Colony, Infront of Deviram Sweet, Rishipuram Road, Sikandra, Agra.

Estimated Cost of Work	:-	Rs. 217.01 lacs
Cost of Tender Set	:-	Rs. 5310/- *(4500/- + 18% GST)*
Earnest Money	:-	4,34,020/-
Stipulated time of completion	:-	450 Days.
Validity of Rates	:-	450 Days from the date of AOC.

Note:- Supply order issued as per requirement at site validity of rates remains same up to 450 Days from the AOC date. Qty can be increased or decreased.

SIGNATURE OF SUPPLIER

Scanned with OKEN Scanner

FORM A1

(On Rs. 100-Non Judicial Stamp papers)

FORM FOR BIDDER'S BIDDING CAPACITY

(on or after the dateof publication of tender)

Name of the Firm / Bidder:...

Name of Work:- "Construction of --

--.

1. The Bidding capacity of the bidder should be equal to or more than the estimated cost of the work put to tender. The bidding capacity shall be worked out by the following formula:

   Bidding Capacity (Rs.)={[AxNx2.5]-B}

   Where,

   A = Maximum turnover in construction works executed in any one year during the last five years taking into account the completed as well as works in progress. The value of completed works shall be brought to current costing level by enhancing at a simple rate of 7% per annum.

   N = Number of years prescribed for completion of work for which bid has been invited.

   B = Value of existing commitments and ongoing works to be completed during the period of completion of work
   for which bid has been invited (Value of B worked out from "Form A2").

Signature of Chartered Accountant with Seal **Seal & Signature of Bidder**

U.P. STATE CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORP. LTD

Scanned with OKEN Scanner

FORM A2

Project Under Execution

S. No.	Details	
1.	Name of work/project and location	
2.	Owner or sponsoring organization	
3.	Cost of work in Rs. (in Lacs)	
4.	Date of commencement as per contract	
5.	Stipulated date of completion	
6.	Up to Date % Financial Progress	
7.	Value of Balance Commitment to Complete work till Period for which Bid Invited (Lacs)	
8.	Slow progress if any and reasons thereof	
9.	Name and Address (Postal & E-mail) / telephone number of officer (Executive Engineer/Project Masager) to whom reference may be made	
10.	Remarks	

It is to undertake that above is the total list of works under progress in any department and information furnished is true and nothing has been hiding. Further that, if such a violation comes for hiding information or incorrect information to the notice of Department, then we shall be debarred for bidding in UPSCIDCO in future forever.

Note:

1. In Row No 6 above, only the percentage of financial progress shall be mentioned. In substantiation of financial progress, the bidder shall submit the statement of up to date payment made against each work, obtained from the Executive Engineer/Project Manager in charge of the work or by the chartered accountant

SIGNATURE (S) OF BIDDER(S) (WITH STAMP)

U.P. STATE CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORP.
यूपीसिडको
UPSCIDCO

Scanned with OKEN Scanner

LITIGATION HISTORY

(ON THE LETTER HEAD OF APPLICANT)

S.No.	Name of Work	Client	Type of case (Courtcase/Arbitration case)	Date of registering of case	Name & Address of Court/Arbitrator	Amount involved	Present Status	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

U.P. STATE CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
यूपीसिडको

Signature of Applicant

With seal

Note:

Applicant has to submit the details of last 5 years in respect of Court cases /Arbitration cases.

Scanned with OKEN Scanner

List of Aprooved Makes of Material for Building Work Sanitary /Rain Water Harvesting Work

S.N.	Details of Materials/Equipment	Manufacture'S Name
1.	Vitreous China Sanitary Ware	: Hindware/Parryware/Cera/Somany
2.	CP Fitting	: Hindware/Plumber/Somany
3.	Cast Iron Pipe & Fitting	: SKF/A-/HIF (ISI mark)
4.	G.M. Gate Valve/Forged Brass Ball (ISI)	: NMC/Leader
5.	Paint 1st Quality	: Asian/ Berger/Nerolac
6	.G.I. Pipe	: Jindal/Tata/QST/ TT Swastic
7.	G.I. Pipe Fitting	: Unik/New make/NMC/KMC
8.	China Ware Fitting White Colour	: Hindware/Somany/Cera Make
9.	C.P.V.C. Pipe & Fitting	: Astle/Supreme / Prakash
10.	Granite Stone 20mm +/- 2mm	: Rosy Pink
11.	Aluminium Frame & Shutter for Window Section2mm thick	: Hindalco/ Jindal Make (Powder Coated Aluminium Minimum Thickness of Powder Coating 50 Micron) (Off White Colour)
12.	Aluminium Door Frame For Shutter Section 4mm thick	: Hindalco/ Jindal Make (Powder Coated Aluminium Minimum Thickness of Powder Coating 50 Micron) (Off White Colour)
13.	Aluminium Biding Clip 1mm thick	: Hindalco / Jindal Make
14.	Glass pane in Aluminium Door 5mm thick & 4mm thick in Window	: Modi /Saint /Gobain
15.	PVC Pipe & Fitting	: Supreme/ Prakash Make
16.	Cement	: JK/Birla Uttam /ACC/Ultra Tech/Shree
17.	T.M.T. Steel Fe 500	: Sail /Jindal/Tata/TMT/RINL
18.	China Glazed wall/floor & Vitrified tiles	: Kajaria/Somani/Orient

NOTE:-

1. उपरोक्त ब्रान्ड/मेक प्रयोग कार्य करने से पूर्व ई0आई0सी0 से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

Scanned with OKEN Scanner

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध .... (जिन्हे आगे ग्राहक विभाग कहा गया है) द्वारा उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० (जिन्हे आगे निगम कहा गया है) को जनपद .... में आवंटित .... भवन का निर्माण कार्य जिसकी स्वीकृत लागत रू० .... लाख है, के कार्यो हेतु निगम एवं मै० .... (जिन्हे आगे ठेकेदार कहा गया है) के मध्य दिनांक .... को निष्पादित किया जा रहा है, जिसकी अनुबन्धित लागत रू० .... लाख है। दोनो पक्षो के मध्य सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्ते एवं दशायें निम्नवत् है :-

1- ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित विभिन्न विभागों यथा (पुरातत्व/विकास प्राधिकरण) से आवश्यकतानुसार क्लीयरेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु उक्त मद में ठेकेदार द्वारा व्यय की गई धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा कार्य का वास्तविक बिल प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा किया जायेगा।

2- ठेकेदार को जारी कार्य आवंटन पत्र एवं अनुबन्ध, निगम को आवंटित कार्य के विषय में ठेकेदार को ग्राहक विभाग के साथ किसी प्रकार के सीधे औपचारिक पत्र व्यवहार के लिए अधिकृत नहीं करता है। अनुबन्ध के कारण ठेकेदार का कार्य एवं कार्य की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व/अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3- ठेकेदार द्वारा कार्य का सम्पादन, निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों, विशिष्टियों एवं संरचना के आधार पर तथा निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा निगम के अभियन्ता/उच्चाधिकारियों को किसी भी समय पर कार्य का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जाँच किये जाने का पूरा अधिकार होगा।

4- ठेकेदार द्वारा समस्त निर्माण कार्य केन्द्रीय/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित/ग्राहक विभाग द्वारा अनुमोदित, विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायेगें।

5- केन्द्रीय/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग के मानको के अनुरूप कार्यस्थल पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री को प्रयोग में लाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। निर्माण सामग्रियों के नमूनों का निगम/ इंजीनियर इन्चार्ज से अनुमोदित कराने के पश्चात् ही प्रयोग में लाया जायेगा। निगम/ इंजीनियर इन्चार्ज द्वारा किसी निर्माण सामग्री या सम्पादित कार्य के नमूने का परीक्षण किसी चयनित संस्था/कार्यस्थल पर स्थापित लैब से कराये जाने की दशा में परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से की जायेगी। किसी सामग्री के विशिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा टेस्ट में कोई सामग्री फेल होने की दशा में उक्त सामग्री को तत्काल अपने व्यय पर कार्यस्थल से हटाने, नई सामग्री आदि की व्यवस्था करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

6- ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री वांछित मानको के अनुरूप होनी चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा टेस्ट अपने व्यय पर कराते हुए सर्टिफिकेट/वांछित अभिलेख निगम के उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रमाण हेतु समय-समय पर प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री वांछित मानको के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो उसको अस्वीकार करने तथा उसका निर्माण कार्य पर उपयोग रोके जाने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।

7- ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्यो को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसकी जाँच टी०ए०सी० अथवा अन्य किसी संस्था/विभागीय अधिकारी से कराये जाने के पश्चात कार्यो में यदि कोई कमी प्रकाश में आती है तो उसका निदान ठेकेदार को अपने व्यय पर करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी । यदि उक्त जाँच के फलस्वरूप ग्राहक विभाग/निगम पर कोई आर्थिक दण्ड लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी। ठेकेदार के किसी कार्य से ग्राहक विभाग/निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुँचती है तो उस क्षति/हानि को वहन करने का दायित्व ठेकेदार का होगा। जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल /जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।

8- ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य/ भवन में प्रयोग किये गये उपकरणों की गारण्टी/वारण्टी प्रपत्र एवं विशिष्टियों के पूर्ण विवरण निगम को भविष्य के सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराया जाना ठेकेदार की बाध्यता होगी।

9- ठेकेदार द्वारा लेबर मद मे समस्त राजकीय/केन्द्रीय नियमों एवं कानूनों के अनुसार भुगतान, बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा इस प्रकार आने वाले समस्त व्यय को ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य पर लगायी जाने वाली मैन पावर/लेबर की मृत्यु,

Scanned with OKEN Scanner

दुर्घटना तथा प्राकृति आपदा अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली क्षति के क्लेम हेतु आवश्यक/वांछित बीमा ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा एवं प्रमाण-पत्र निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि उक्त बीमा कार्य प्रारम्भ होने से निर्मित भवन के हस्तांतरित होने तक वैध रहेगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

10- ठेकेदार द्वारा समस्त सांविधिक अधिनियमों केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त श्रम अधिनियमों जैसे वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, एम्पलॉयर्स लायबिलिटी ऐक्ट, वर्कमैन कम्पन्सेशन ऐक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट ऐक्ट, कान्ट्रैक्ट लेबर रेगूलेशन एण्ड एबॉलीशन ऐक्ट, फैक्ट्री ऐक्ट, वैट, सर्विस टैक्स तथा जी०एस०टी० अथवा अन्य कोई संशोधित अधिनियमों एवं उनके प्राविधानों का विधिवत अनुपालन किया जायेगा तथा किसी अधिनियम के किसी प्राविधान का अनुपालन न होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त राजकीय एवं केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार कार्यरत लेबर एवं स्टॉफ के प्रॉविडेन्ट फण्ड पंजीकरण एवं लेबर लाईसेन्स की छायाप्रति, निगम के अधिशासी अभियन्ता के पास प्रथम भुगतान से पूर्व जमा करानी होगी। उक्त के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाई गई लेबर के प्रॉविडेन्ट फण्ड जमा करने के साक्ष्य स्वरूप चालान की प्रति भी भुगतान के पूर्व निगम को उपलब्ध करानी होगी अन्यथा बिल में लेबर चार्ज की धनराशि पर 25.61 प्रतिशत की दर से प्रॉविडेन्ट फण्ड में मद में कटौती की जायेगी।

11- ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल को साफ-सुथरा रखा जायेगा।

12- ठेकेदार द्वारा ग्राहक विभाग को समय-समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेगी तथा ग्राहक विभाग एवं निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

13- यदि ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है या निम्न गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्राहक विभाग द्वारा निर्माण कार्य निगम के स्थान पर किसी अन्य एजेन्सी को आवंटित करने को निर्णय ले लिया जाता है तो इस सम्बन्ध में अतिरिक्त लागत हेतु यदि निगम, ग्राहक विभाग के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी होगा तो वह धनराशि/क्षति जो निगम को वहन करनी होगी की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के अवशेष बिलों तथा जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।

14- ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्यों को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि कोई कमी प्रकाश में आती है और उससे निगम को कोई आर्थिक हानि होती है अथवा ठेकेदार के किसी कार्य से निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुँचती है तो उस क्षति/हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ठेकेदार पर उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ठेकेदार पर पेनाल्टी/कटौती अथवा अन्य किसी मद मे डेबिट की जाने वाली ऐसी धनराशि जिसकी वसूली उसके बिलो, सिक्योरिटी अथवा अन्य किसी रूप में सम्भव न होने की स्थिति में, उक्त धनराशि ठेकेदार पर निगम को देय ऋण के रूप में मानी जायेगी, जिसकी वसूली निगम द्वारा लोकधन देयो की वसूली अधिनियम 1972 यू०पी० पब्लिक मनी रिकवरी ऑफ ड्यूज (एक्ट 1972) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ठेकेदार से की जायेगी।

15- यदि ग्राहक विभाग द्वारा निगम को आवंटित कार्य का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाता है अथवा कोई विशेष शर्ते लागू की जाती है तो यह समस्त शर्ते एवं दशायें सम्बन्धित ठेकेदार पर भी बाध्य/लागू होंगी तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

16- निर्धारित अवधि के अनुसार ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण न करने की दशा में यदि ग्राहक द्वारा निगम के बिलो से दण्ड शुल्क के रूप में कोई कटौती की जायेगी तो उसके समतुल्य धनराशि की वसूली, निगम द्वारा ठेकेदार के बिलो के भुगतान/सिक्योरिटी धनराशि से अथवा अन्य प्रकार से की जायेगी। ठेकेदार द्वारा कार्य समय से पूर्ण न किये जाने की दशा में कार्य की लागत की 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है।

17- निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार को होने वाले किसी प्रकार की क्षति के लिए निगम को कोई भी उत्तरदायित्व अथवा देनदारी नहीं होगी और इस प्रकार का कोई दावा न तो ठेकेदार द्वारा किया जायेगा और न ही निगम द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

18- ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य के सम्पादन हेतु यदि किसी विशेष मद को सबलेटिंग के आधार पर कराया जाना आवश्यक हो तो निगम की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

Scanned with OKEN Scanner

19- यदि कार्यस्थल पर कार्यरत् श्रमिक द्वारा भुगतान प्राप्त न होने की शिकायत की जाती है तथा निगम द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में भी ठेकेदार द्वारा लेबर का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस दशा में निगम द्वारा श्रमिकों का भुगतान करते हुए उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से कर ली जायेगी।

20- सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ग्राहक विभाग के अधिकारियों को कार्य का सुपरविजन/निरीक्षण करने हेतु आवश्यक सहयोग/सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी, जिस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

21- निर्माणाधीन कार्य पर अग्नि, दुर्घटना, दंगो, सिविल कोमोशन और/अथवा प्रकृतिक दैवीय प्रकोपों एवं चोरी आदि से जो भी क्षति होगी उसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा एवं उक्त हेतु निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उक्त दुर्घटना/घटनाओं से होने वाली क्षति के कार्य की सुनिश्चित लागत का बीमा ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर कराया जायेगा तथा बीमा न कराये जाने की दशा में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति को ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा।

22- विस्तृत आगणन/बिल ऑफ क्वांटिटी में विभिन्न मदों में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है तथा कार्य सम्पादन के समय किसी भी आईटम की मात्रा में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है या कोई कार्य नहीं भी सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

23- निगम द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध करायी गई बिल ऑफ क्वांटिटी में उल्लिखित मात्राओं से विचलन होने की स्थिति में धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त का भुगतान ठेकेदार को किया जायेगा।

24- ठेकेदार का बिल का भुगतान विभिन्न करों तथा की जाने वाली अन्य विभिन्न कटौतियों को करने के पश्चात ही अवमुक्त किया जायेगां। ठेकेदार को किया जाने वाला कुल भुगतान निगम को ग्राहक विभाग से प्राप्त धनराशि में से सेन्टेज व कन्टीजेन्सी की धनराशि घटाने के पश्चात आयी अवशेष धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा।

25- यदि निगम द्वारा ठेकेदार को कोई सामग्री उसके अनुरोध पर निर्गत की जाती है तो सामग्रियों की लागत को रनिंग बिलों की धनराशि से समायोजित किया जायेगा। उक्त सामग्री विभागीय दरों पर उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य के कम्पाउन्डिग कराये जाने की स्थिति में ठेकेदार को निर्गत की गई सामग्री पर दिये गये व्यापार कर का कोई समायोजन नहीं किया जायेगा। विभागीय सामग्री के निर्गमन में किसी प्रकार के विलम्ब का उत्तरदायित्व भी निगम का नही होगा और न ही कार्य समापन की तिथि की गणना हेतु इसे संज्ञान में लिया जायेगा।

26- ठेकेदार के बिलों से नियामानुसार आयकर, जी०एस०टी० तथा अन्य सांविधिक करों की कटौती सम्बन्धि अधिनियमों के समय-समय पर लागू/प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। जी०एस०टी का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

27- कार्य का भुगतान निम्न स्टेज पूर्ण होने पर ठेकेदार द्वारा सूचना दिये जाने के उपरान्त इकाई स्तर पर मापी करते हुए किया जायेगा।

28- ठेकेदार के प्रत्येक रनिंग बिल से कार्यवार 5 प्रतिशत की जमानती धनराशि काटी जायेगी जिसे निर्माण कार्य ग्राहक विभाग को हस्तांतरित होने के 6 माह पश्चात (जिसे डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड कहा जायेगा), अवमुक्त किया जायेगा। डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि में कार्य में किसी भी प्रकार की कमी आने पर उसका निराकरण ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में आने वाली समस्त कमियों का निराकरण एवं अनुरक्षण एक सप्ताह के अन्दर कराया जायेगा अन्यथा उक्त कार्य को निगम द्वारा स्वयं सम्पादित कराकर आने वाले व्यय की वसूली ठेकेदार की जमा सिक्योरिटी धनराशि से कर ली जायेगी।

29- कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदारद्वारा ग्राहक विभाग को कार्य हस्तांतरित कराने के पश्चात कार्य का अन्तिम बिल इकाई द्वारा तैयार करते हुए भुगतान किया जायेगा।

30- यदि ग्राहक विभाग द्वारा निगम के बिल से रिटेन्शनमनी/अन्य कोई कटौतियां की जायेगी तो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से समतुल्य धनराशि की कटौती की जायेगी।

31- निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने, बिल प्रस्तुत किये जाने, बिल पारित किये जाने, निर्माण कार्य के शेड्यूल आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया जो निगम/ग्राहक विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

32- ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को निर्धारित बार चार्ट के अनुरूप कराया जाना होगा। यदि कार्य की प्रगति निर्धारित बार चार्ट के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो निगम को कार्य का अनुबन्ध आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसा किये जाने की दशा में ठेकेदार द्वारा सात दिनों के अन्दर कार्यस्थल से अपनी लेबर तथा अनुप्रयुक्त सामग्री को अपने व्यय पर हटाना होगा अन्यथा निगम द्वारा कार्यस्थल पर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

33- निगम एवं ठेकेदार के मध्य किसी प्रकार के विवाद की दशा में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रचर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

34- ग्राहक विभाग से किसी प्रकार के विवाद की दशा में ग्राहक विभाग द्वारा नामित आर्बीट्रेटर द्वारा विवाद का निस्तारण किया जायेगा तथा आर्बीट्रेटर को देय मानदेय, शुल्क का वहन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। आर्बीट्रेटर का जो निर्णय निगम पर लागू होगा उसके अनुपालन हेतु ठेकेदार पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

35- ग्राहक विभाग एवं निगम के मध्य यदि कोई अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है तो उक्त अनुबन्ध की समस्त शर्ते एवं दशाएं ठेकेदार पर लागू होगी जिसका अनुपालन करना ठेकेदार का दायित्व होगा। उक्त अनुबन्ध दिनांक .... निगम तथा ठेकेदार के मध्य निष्पादित अनुबन्ध दिनांक .... की समस्त शर्तें इस अनुबन्ध के साथ पढ़ी जायेगी।

36- ठेकेदार को कायदिश जारी होने की तिथि के 03 दिनों के भीतर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा निर्माण कार्य को निर्धारित तिथि दिनांक .... तक पूर्ण करना होगा। परन्तु यदि ग्राहक विभाग द्वारा पूर्ण करने की तिथि में परिवर्तन किया जाता है तो उक्त तिथि तक कार्य पूर्ण करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा अन्यथा अनुबन्ध की शर्त संख्या- 16 के अनुसार ठेकेदार पर कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक :-
स्थान :-

ठेकेदार की ओर से	निगम की ओर से
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
साक्षी:	साक्षी:

U.P. STATE CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORP. LTD.
यूपीसिडको
UPSCIDCO

नोट:- निविदा की स्वीकृति की दशा में उपरोक्त प्रारुपानुसार अनुबन्ध गठन हेतु रु० 100.00 के उक्त ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर करना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by GAJENDRA PAL SINGH
Date: 2026.05.07 15:16:50 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner